प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ...113/2023 दिनांक ....9/5/2023....................
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं – 7 पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ....198..... समय ....7:10 PM..................
(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 08.05.2023 समय 11.05 ए.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 02.05.2023 समय 10.30 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 415 किलोमीटर
(2)पता– कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (ओ एण्ड एम) फतहपुरा, उदयपुर।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री दीपक साहू
(2) पिता का नाम : श्री हीरालाल साहू
(3) आयु : 28 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : वाहन चालक
(7) पता : 556, रोशन नगर सेक्टर नम्बर 12, उदयपुर ।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
श्री राहुल कुमार द्विवेदी पुत्र श्री राममनोहर द्विवेदी उम्र 32 वर्ष हाल निवासी क्वार्टर नम्बर सी–12, अंबावगढ पुलिस थाना अंबामाता उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड फतहपुरा उदयपुर।
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
क्रम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा 5,000/– रूपये, परिवादी के मित्र श्री प्रेमपुरी गोस्वामी के नीमचखेडा, उदयपुर स्थित घर के बाहर गली में कॉर्नर पर लगे विद्युत पोल को शिफ्ट करने की एवज में श्री राहुल कुमार द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, अ.वि.वि.नि.लि फतहपुरा, उदयपुर के द्वारा परिवादीगणों से निगम शुल्क (डिमाण्ड राशि) के अलावा 5000 रूपये रिश्वत की मांग कर दिनांक 8–5–23 को परिवादी से रिश्वती राशि 5000 रूपये अपने कार्यालय कक्ष में अपनी टेबल पर रखे लाल रंग के रजिस्टर में रखवायी। जहां से रिश्वती राशि 5000 रूपये बरामद की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 5,000/– रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अति– पुलीस अधिक्षक ,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उदयपुर।

विषय – कानुनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मै दीपक साहू पुत्र श्री हीरालाल साहू निवासी मकान नंबर 556, रोशन नगर, सेक्टर नम्बर 12 उदयपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 5 सालों से मेरी गाडी बोलेरो केम्पर संविदा पर कार्यालय सहायक अभियंता, एवींवीएनएल मधुबन उदयपुर में लगा रखी थी। मेरे दोस्त श्री प्रेमपुरी गोस्वामी जो कि निवासी नीमच खेडा उदयपुर के रहने वाले है। जिनके घर के बाहर गली के कॉर्नर पर लगा बिजली का खम्भा जिससे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होने के कारण उक्त बिजली के खम्भे को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए दिनांक 27–3–2023 को मैं तथा श्री प्रेमपुरी गोस्वामी दोनो ने कार्यालय सहायक अभियंता एवींवीएनएल ऑफिस मधुवन उदयपुर में जाकर एईएन साहब को रिपोर्ट दी। कई दिनों तक हमारी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होने से एईएन ऑफिस में जाकर पता किया तो पता चला कि खम्भा शिफ्ट कराने की कार्यवाही जेईएन साहब श्री राहुल द्विवेदी जी करेंगे। मेरी गाडी पूर्व में संविदा पर लगी होने से मैं राहुल द्विवेदी जी जेईएन साहब को जानता था। इसलिए मैं तथा मेरा दोस्त दोनो श्री राहुल द्विवेदी जेईएन साहब से मिले तो जेईएन साहब ने श्री प्रेमपुरी गोस्वामी के जायज काम के लिए निवेदन करने पर टालमटोल करता रहा। जिसके बाद मुझे एक साईड ले जाकर बिजली के खम्भे को हटाने के लिए निगम शुल्क के अलावा 5000 रूपये मांगे। मेरे द्वारा उनसे निगम शुल्क के बारे में पूछा तो मांग पत्र भी नहीं दिया। जिस पर मेरे दोस्त प्रेमपुरी गोस्वामी को इस संबंध में बताया तो श्री प्रेमपुरी गोस्वामी ने बताया कि मैं चाय का ठेला लगाता हूँ और सरकारी काम के लिए 5000 रूपये रिश्वत राशि देने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं उक्त भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत राशि जायज कार्य के लिए नहीं देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ। इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जाकर आप कानूनी कार्यवाही कराओं। जिस पर मैं आपके समक्ष उपस्थित आया हूँ। हम हमारे जायज काम के बदले श्री राहुल द्विवेदी जेईएन को रिश्वत राशि नहीं देना चाहते है और उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी तथा मेरे दोस्त की श्री राहुल द्विवेदी से कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई लेन देन बकाया है, कानूनी कार्यवाही करावे।

प्रार्थी
–एसडी–
दीपक साहू

एसडी
प्रेमपुरी गोस्वामी
एसडी
कमलेश कुमार वर्मा
एसडी
पवन कुमार शर्मा

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 2–5–2023 समय करीब 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री दीपक साहू पुत्र श्री हीरालाल साहू उम्र 29 वर्ष निवासी मकान नंबर 556, रोशन नगर, सेक्टर नम्बर 12 उदयपुर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की प्रस्तुत कि ''मैं दीपक साहू पुत्र श्री हीरालाल साहू निवासी मकान नंबर 556, रोशन नगर, सेक्टर नम्बर 12 उदयपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 5 सालों से मेरी गाडी बोलेरो केम्पर संविदा

पर कार्यालय सहायक अभियंता, एवीवीएनएल मधुबन उदयपुर में लगा रखी थीं। मेरे दोस्त श्री प्रेमपुरी गोस्वामी जो कि निवासी नीमच खेडा उदयपुर के रहने वाले है। जिनके घर के बाहर गली के कॉर्नर पर लगा बिजली का खम्भा जिससे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होने के कारण उक्त बिजली के खम्भे को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए दिनांक 27.3.2023 को मैं तथा श्री प्रेमपुरी गोस्वामी दोनो ने कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल ऑफिस मधुवन उदयपुर में जाकर एईएन साहब को रिपोर्ट दी। कई दिनों तक हमारी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होने से एईएन ऑफिस में जाकर पता किया तो पता चला कि खम्भा शिफ्ट कराने की कार्यवाही जेईएन साहब श्री राहुल द्विवेदी जी करेंगे। मेरी गाडी पूर्व में संविदा पर लगी होने से मैं राहुल द्विवेदी जी जेईएन साहब को जानता था। इसलिए मैं तथा मेरा दोस्त दोनो श्री राहुल द्विवेदी जेईएन साहब से मिले तो जेईएन साहब ने श्री प्रेमपुरी गोस्वामी के जायज काम के लिए निवेदन करने पर टालमटोल करता रहा। जिसके बाद मुझे एक साईड ले जाकर बिजली के खम्भे को हटाने के लिए निगम शुल्क के अलावा 5000 रूपये मांगे। मेरे द्वारा उनसे निगम शुल्क के बारे में पूछा तो मांग पत्र भी नहीं दिया। जिस पर मेरे दोस्त प्रेमपुरी गोस्वामी को इस संबंध में बताया तो श्री प्रेमपुरी गोस्वामी ने बताया कि मैं चाय का ठेला लगाता हूँ और सरकारी काम के लिए 5000 रूपये रिश्वत राशि देने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं उक्त भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत राशि जायज कार्य के लिए नहीं देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ। इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जाकर आप कानूनी कार्यवाही कराओं। जिस पर मैं आपके समक्ष उपस्थित आया हूँ। हम हमारे जायज काम के बदले श्री राहुल द्विवेदी जेईएन को रिश्वत राशि नहीं देना चाहते है और उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी तथा मेरे दोस्त की श्री राहुल द्विवेदी से कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई लेन देन बकाया है, कानूनी कार्यवाही करावे।''

परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी से उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखी होकर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री सुरेश जाट कानि 424 से मंगवाया जाकर उसके संचालन की विधि से भलीभांति अवगत कराया गया। श्री सुरेश जाट कानि का परिवादी से आपस में परिचय कराया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.05 ए.एम. पर श्री सुरेश जाट कानि को संदिग्ध अधिकारी की आम शोहरत मालूमात करने एवं रिश्वत मांग सत्यापन कराये जाने हेतु निर्देशित कर श्री सुरेश जाट कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के परिवादी के साथ फतहपुरा स्थित जेईएन ऑफिस के लिए रवाना किया गया जो बाद सत्यापन समय करीब 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री दीपक साहू एवं श्री सुरेश कानि के उपस्थित कार्यालय हुए। श्री सुरेश जाट कानि ने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार हम दोनो ब्यूरो से रवाना हो फतहपुरा पहुंच श्री दीपक साहू को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करके सुरक्षित अपने पास रखने की मुनासिब हिदायत के रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु फतहपुरा, उदयपुर स्थित जेईएन ऑफिस के लिए रवाना किया था। मैं आसपास रह अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के इंतजार में मुकिम रह संदिग्ध अधिकारी की गोपनीय रूप से आम शोहरत की मालूमात की गयी तो संदिग्ध अधिकारी काफी भ्रष्ट छवि का होकर बिना रिश्वत लिये किसी का भी जायज सरकारी काम नहीं करते है। कुछ देर पश्चात परिवादी कार्यालय से बाहर साईड में जाकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर बंद करके मुझे दिया। जिसे मैंने अपने पास सुरक्षित रख लिया। जिसके बाद हम दोनो वहां से रवाना हो आपके समक्ष उपस्थित हुए। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने बताया कि मैं ऑफिस में गया जहां पर जेईएन साहब मिले। जिन्होंने मेरे दोस्त प्रेमपुरी गोस्वामी के द्वारा बिजली खम्भा शिफ्ट कराने के संबंध में दी गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के नाम पर डिमाण्ड राशि (निगम शुल्क) के अलावा 5000 रूपये रिश्वत स्वरूप मांगे और मुझे 14945 रूपये का एक एस्टीमेट दिनांक 01.04.2023 अंकित हो, देते हुए उक्त डिमाण्ड राशि जमा कराने के लिए कहा। उक्त एस्टीमेट की कॉपी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पेशशुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को चलाकर सुना तो संदिग्ध अधिकारी के द्वारा परिवादी से

बिजली खम्भा शिफ्ट कराने के लिए 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। वार्ता में संदिग्ध अधिकारी ने रिश्वत राशि के अलावा डिमाण्ड राशि भी जमा कराने को कहा। आईन्दा गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में ही फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की जाएगी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। हालात उच्चाधिकारी को निवेदन किये गये। समय करीब 1.00 पी.एम. पर परिवादी को हिदायत दी गयी कि संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था करने एवं श्री प्रेमपुरी गोस्वामी को भी ब्यूरो कार्यालय में साथ लेकर उपस्थित होने की हिदायत के रूखसत किया गया।

दिनांक 3–5–2023 को समय करीब 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री दीपक साहू व श्री प्रेमपुरी गोस्वामी उपस्थित कार्यालय हुए। परिवादी श्री दीपक साहू ने श्री प्रेमपुरी गोस्वामी का मन् पुलिस निरीक्षक से आपस में परिचय कराया। परिवादी श्री दीपक साहू ने बताया कि मैं मेरे दोस्त श्री प्रेमपुरी गोस्वामी से डिमाण्ड राशि 14945 रूपये और रसीद राशि 100 रूपये कुल 15045 रूपये प्राप्त कर कार्यालय एईएन ऑफिस मधुबन में जमा करा रसीद हमरा लाया हूँ जो आपको पेश कर रहा हूँ। उक्त रसीद का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री दीपक साहू के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 2–5–2023 को परिवादी तथा उसके मित्र श्री प्रेमपुरी गोस्वामी की उपस्थिति में पढकर सुनाया व पढाया तो उक्त प्रार्थना पत्र की ताईद की। प्रार्थना पत्र पर श्री प्रेमपुरी गोस्वामी के हस्ताक्षर कराये गये। श्री प्रेमपुरी गोस्वामी ने बताया कि मेरे घर के बाहर गली में कॉर्नर पर लगे विद्युत खम्भे को दूसरी जगह शिफ्ट कराना था। जिसके लिए मैं कम जानकार होने से मैंने मेरे दोस्त श्री दीपक साहू के साथ जाकर एईएन ऑफिस मधुवन में दिनांक 27–3–23 को रिपोर्ट दी थी। जिसके बाद भी बिजली का खम्भा शिफ्ट नहीं होने पर हमने एवीवीएनएल ऑफिस मधुवन में जाकर पता किया तो पता चला कि खम्भा शिफ्ट कराने की कार्यवाही जेईएन साहब श्री राहुल द्विवेदी जी कर रहे है। जिस पर हम दोनो श्री राहुल द्विवेदी जेईएन साहब से मिले तो जेईएन साहब ने मेरे दोस्त को एक तरफ ले जाकर बिजली खम्भे को शिफ्ट करने के सरकारी शुल्क के अलावा 5000 रूपये खर्चेपानी के मांगे। हम दोनो जेईएन साहब को रिश्वत नहीं चाहते थे। दिनांक 2–5–23 को मेरी माताजी की अचानक तबियत खराब होने से मुझे गांव जाना पडा। इसलिए मैंने मेरे मित्र श्री दीपक साहू को एसीबी में जाकर जेईएन साहब के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने का कहा था।

जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा कार्यालय की अलमारी में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर श्री दीपक साहू के समक्ष ही टेप रिकॉर्डर को चालू करके उसमें परिवादी श्री दीपक साहू एवं श्री राहुल द्विवेदी जेईएन के बीच हुई रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो श्री प्रेमपुरी गोस्वामी ने भी एक आवाज अपने मित्र श्री दीपक साहू एवं दूसरी आवाज श्री राहुल द्विवेदी जेईएन की होना बताते हुए उसके द्वारा रिश्वत मांग की पुष्टि होना बताया। आईन्दा गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मूर्तिब की जाएगी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित हालात में रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 1.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री दीपक साहू एवं श्री प्रेमपुरी गोस्वामी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर लाने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 4–5–2023 को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर अवकाश का उपभोग कर उपस्थित कार्यालय होने पर हालात निवेदन कर अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त किये।

दिनांक 5–5–2023 को समय करीब 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री दीपक साहू एवं सहपरिवादी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी उपस्थित कार्यालय हुए और बताया कि आरोपी श्री राहुल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो गयी है। जिस पर दोनो को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.05 पी.एम. पर उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर श्री अशोक कानि को रवाना किया जो समय करीब 2.00 पी.एम. पर श्री अशोक कुमार कानि के साथ श्री पवन कुमार शर्मा उप प्राचार्य एवं श्री कमलेश कुमार वर्मा व्याख्याता उपस्थित कार्यालय हुए। श्री अशोक कुमार कानि ने ब्यूरो कार्यालय से जारी तेहरीर प्रस्तुत की। जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गयी। श्री पवन कुमार शर्मा उप प्राचार्य एवं श्री

कमलेश कुमार वर्मा व्याख्याता से आपस में परिचय कराया गया। उक्त दोनो का परिचय कार्यालय कक्ष में पूर्व से बैठे परिवादी श्री दीपक साहू एवं सहपरिवादी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी से आपस में कराया गया। परिवादीगण के समक्ष ही ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में श्री पवन कुमार शर्मा उप प्राचार्य एवं श्री कमलेश कुमार वर्मा व्याख्याता को बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गयी तो हर दोनो ने मौखिक सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात परिवादी के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी, सहपरिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढकर सुनाया गया एवं पढाया गया तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र शब्द ब शब्द सही होना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने भी अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय करीब 2.30 पी.एम. पर दिनांक 2–5–2023 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने–सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, परिवादी, सहपरिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री सुरेश कानि 424 से तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसकिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। मूल एवं डब सीडी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 3.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री दीपक साहू को आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी, कनिष्ठ अभियन्ता को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने साथ आए दोस्त श्री प्रेमपुरी गोस्वामी से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है:–

1	500 रूपये का एक नोट नंबर	3HD 388673
2	500 रूपये का एक नोट नंबर	6HC 738852
3	500 रूपये का एक नोट नंबर	7KG 308019
4	500 रूपये का एक नोट नंबर	4BP 922607
5	500 रूपये का एक नोट नंबर	6SA 783605
6	500 रूपये का एक नोट नंबर	7DE 464001
7	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BU 412251
8	500 रूपये का एक नोट नंबर	3HV 666302
9	500 रूपये का एक नोट नंबर	2WU 187792
10	500 रूपये का एक नोट नंबर	5TD 693830

कार्यालय में रखी फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री अशोक कानि से मंगवाकर उक्त समस्त नोटो पर श्री अशोक कानि से फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः न छोडते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाए जाकर श्री टीकाराम से कार्यालय मे से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री अशोक कानि के दाहिने हाथ की उंगलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फथेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी, परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को फिकवाकर फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय के मालखाने में रखवायी गयी तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो

हाथ जोड़कर अभिवादन करे तथा रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। जिसके उपरांत परिवादी से रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति के ईशारे के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, एवीवीएनएल फतहपुरा उदयपुर के पास ही स्थित 'BOI' का एटीएम है रिश्वती राशि देने के उपरांत मैं उक्त एटीएम में चला जाउंगा। उपरोक्त निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को बताया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री टीकाराम कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी, सहपरिवादी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुनासिब हिदायत के सुपूर्द किया गया। समय करीब 4.10 पी.एम. पर परिवादी श्री दीपक साहू, सहपरिवादी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी को रिश्वती राशि लेनदेन हेतु परिवादी सहपरिवादी को स्वयं के निजी वाहन से कार्यालय कनिष्ठ अभियंता फतहपुरा के लिए रवाना करते हुए पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार शर्मा, श्री कमलेश कुमार वर्मा, ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, श्री करणसिंह हैड कानि, श्री मांगीलाल कानि, श्री टीकाराम कानि, श्री सुरेश कानि एवं श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के निजी एवं टेक्सी वाहन से फतहपुरा, उदयपुर के लिए रवाना हो समय करीब 4.20 पी.एम. पर परिवादी, सहपरिवादी एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता के रवाना हो फतहपुरा चौराहे के पास पहुंच परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन करने की मुनासिब देकर परिवादी, सहपरिवादी को कार्यालय कनिष्ठ अभियंता के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता कार्यालय कनिष्ठ अभियंता के आसपास परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। तत्पश्चात समय करीब 4.30 पी.एम. पर परिवादी, सहपरिवादी बिना कोई ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष आकर बताया कि जेईएन साहब कार्यालय में नहीं मिले, पूछा तो मधुबन होना बताया। जिस पर परिवादी, सहपरिवादी को उनके निजी वाहन से कार्यालय सहायक अभियंता, मधुवन उदयपुर रवाना कर पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता के कार्यालय सहायक अभियंता, मधुवन उदयपुर से कुछ दूरी पर अपने वाहनों को साईड में खडा कर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए कार्यालय सहायक अभियंता, मधुवन उदयपुर के आस पास मुकिम रहे। समय करीब 4.40 पी.एम. पर परिवादी, सहपरिवादी एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता के फतहपुरा से रवाना हो मधुबन स्थित कार्यालय सहायक अभियंता, अ.वि.वि.नि.लि. के पास पहुंच वाहनों को एक साईड खडा कर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन करने की मुनासिब देकर परिवादी, सहपरिवादी को कार्यालय सहायक अभियंता, अ.वि.वि.नि.लि., मधुबन उदयपुर के लिए रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता कार्यालय के आसपास परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। समय करीब 6.30 पी.एम. पर परिवादी, सहपरिवादी बिना कोई ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष आकर ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया। जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि जेईएन साहब कार्यालय में उपस्थित मिले, जो कोई मिटींग में व्यस्त होने से रिश्वत राशि की मांग नहीं की। किन्तु उक्त वार्ता ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। उपस्थितिन के समक्ष ही परिवादी के पास रखी रिश्वती राशि गवाह श्री कमलेश कुमार वर्मा से निकलवायी जाकर एक सफेद लिफाफे में रख ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। स्वतंत्र गवाहान के हाथ धुलवाये गये। परिवादी, सहपरिवादी, मन् पुलिस निरीक्षक स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स इत्यादि अपने अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर के लिए रवाना हुए। समय करीब 6.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपस्थित कार्यालय हुए। आज दिनांक 5-5-23 को हुई रिश्वत वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को उपस्थितिन् के समक्ष चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद

हुई। दिनांक 6, 7–5–2023 का राजपत्रित अवकाश होने से आरोपी के कार्यालय पर उपस्थित आने की संभावना नहीं होने से परिवादी, सहपरिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 8–5–2023 को प्रातः 8.30 बजे कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 8–5–2023 को समय करीब 9.00 ए.एम. पर परिवादी श्री दीपक साहू एवं सहपरिवादी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी उपस्थित कार्यालय हुए। जिस पर दोनो को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.00 ए.एम. पर पूर्व में पाबंदशुदा गवाह श्री पवन कुमार एवं श्री कमलेश कुमार उपस्थित कार्यालय हुए। जिन्हें कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। पूर्व में ट्रेप बॉक्स में रखवायी गयी रिश्वती राशि 5000 रूपये जो कि ब्यूरो के मालखाने में रखी हुई है। उक्त ट्रेप बॉक्स को मालखाने से मंगवाया जाकर उसमें लिफाफे में रखवायी हुई रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार से निकलवायी जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपूर्द किया गया। गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं ब्यूरो जाप्ते के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री दीपक साहू, सहपरिवादी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी को रिश्वती राशि लेनदेन हेतु परिवादी सहपरिवादी को स्वयं के निजी वाहन से कार्यालय कनिष्ठ अभियंता फतहपुरा के लिए रवाना करते हुए पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार शर्मा, श्री कमलेश कुमार वर्मा, ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, श्री करणसिंह हैड कानि, श्री मांगीलाल कानि, श्री टीकाराम कानि, श्री सुरेश कानि एवं श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के निजी एवं टेक्सी वाहन से फतहपुरा, उदयपुर के लिए रवाना हो समय करीब 10.40 एएम पर फतहपुरा चौराहे के पास पहुंच परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर ऑन करने की हिदायत देकर रिश्वत लेनदेन हेतु परिवादी, सहपरिवादी को कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, एवीवीएनएल फतहपुरा उदयपुर के लिए रवाना किया गया। हम सभी आसपास रह परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। जिसने समय करीब 11.05 एएम पर कार्यालय से बाहर आकर कार्यालय के पास ही स्थित 'BOI' का एटीएम में प्रवेश किया। पूर्व में निर्धारित उक्त ईशारे को देखकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता तेज–तेज कदमों से परिवादी के पास पहुंचने लगे। तब परिवादी एटीएम से बाहर आकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान को बताया कि मैंने अभी–अभी जेईएन साहब के कार्यालय में गया। जहां वो अपनी टेबल कुर्सी पर बैठे हुए थे। जहां उनकी मांग अनुसार रिश्वती राशि 5000 रूपये उनके द्वारा ईशारे से रिश्वती राशि रजिस्टर में रखने का ईशारा किया जिस पर मैंने उनके ईशारे अनुसार उनकी टेबल पर रखे लाल रंग के रजिस्टर में रख दिये। तत्पश्चात मैं वहां से रवाना हो आप द्वारा पूर्व में बताये गये ईशारे अनुसार कार्यालय के पास ही स्थित 'BOI' का एटीएम में प्रवेश कर बाहर आया हूँ। जिसको हमरा ले मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं ब्यूरो जाप्ता कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, अ.वि.वि.नि.लि. फतहपुरा उदयपुर में स्थित कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया। जहां पर दो टेबल कुर्सी लगे हुए हो एक टेबल कुर्सी पर एक महिला एवं एक टेबल कुर्सी पर पुरूष बैठा हुआ मिला। उक्त पुरूष को मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए अपने आने के मंतव्य से अवगत कराया। परिवादी द्वारा उक्त पुरूष एवं उसके पास कार्यालय टेबल पर रखे रजिस्टर की ओर ईशारा कर बताया कि इस रजिस्टर में रखवाये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के ईशारे से बताये हुए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी के द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण करने के बारे में पूछा तो आरोपी कहने लगा कि कौनसे पैसे लिये मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। कोई रखकर गया हो तो मेरे को पता नहीं है। मैंने इसकी विभाग से गाडी हटायी। इसलिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मौके पर आरोपी उद्वेलित होकर हो हल्ला करने लगा। हो हल्ला सुनकर मौके पर उपस्थित आये अन्य लोगों को एसीबी द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया और ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु स्वीकृति चाही तो मनाही करते हुए मौके से चले गये। आरोपी को पुनः तसल्ली देकर शांत किया गया। जिसके उपरांत परिवादी ने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया। जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात उपस्थितिन के समक्ष ही मन् पुलिस

निरीक्षक के द्वारा आरोपी से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राहुल कुमार द्विवेदी पुत्र श्री राममनोहर द्विवेदी उम्र 32 वर्ष हाल निवासी क्वार्टर नम्बर सी–12, अंबावगढ पुलिस थाना अंबामाता उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड फतहपुरा उदयपुर होना बताया। पास ही बैठी महिला से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती रीगल शाह पत्नी श्री दीपक जैन उम्र 42 वर्ष निवासी 7 आशीर्वाद नगर, रूपसागर रोड उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अ.वि.वि.नि.लि फतहपुरा उदयपुर होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री दीपक साहू की ओर ईशारा करते हुए आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी से पूछा गया कि आप इसे जानते हो क्या, जिस पर आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि हां मैं दीपक साहू को अच्छी तरह से जानता हूँ ऑफिस में आता रहता है इसकी गाडी विभाग में लगी हुई थी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी से पूछा गया कि अभी–अभी आपने श्री दीपक साहू से 5000 रूपये रिश्वती राशि किस बात के लिये है तो आरोपी ने परिवादी से कोई रिश्वती राशि नहीं लेना बताया और ना ही परिवादी से कोई रिश्वत राशि की मांग करना बताया ये मुझे ये झूठा फंसा रहा है। जिस पर मौके पर ही परिवादी ने आरोपी के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि जेईएन साहब झूठ बोल रहे है। इन्होंने मेरे दोस्त प्रेमपुरी गोस्वामी के नीमचखेडा स्थित घर के बाहर गली में कॉर्नर पर लगे विद्युत पोल को शिफ्ट करने के लिए मेरे से डिमाण्ड राशि (निगम शुल्क) के अलावा 5000 रूपये रिश्वत स्वरूप मांगी और 14,945 रूपये का एक एस्टीमेट दिनांक 2–5–2023 को दिया था। जिस पर मैंने दिनांक 3–5–23 को डिमाण्ड राशि 14945 रूपये, रसीद शुल्क 100 रूपये कुल 15,045 रूपये जमा करा दिये थे। अभी अभी मैंने इनकी मांग अनुसार पोल को शिफ्ट कराने के लिए सरकारी शुल्क के अलावा 5000 रूपये रिश्वती राशि दी जो इन्होंने इनके टेबल पर रखे इस लाल रंग के रजिस्टर में रखने का ईशारा कर रखवायी थी। जेईएन साहब बिना रिश्वत के किसी का भी काम नहीं करते है। मौके पर उपस्थित सहपरिवादी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी ने बताया कि मेरे घर के बाहर गली में लगे बिजली के खंभे को शिफ्ट करने के लिए मैंने मेरे दोस्त दीपक साहू के साथ जाकर रिपोर्ट दी थी। जिसके बारे में जेईएन साहब राहुल द्विवेदी से कई बार मिले, लेकिन इन्होंने हमारे से रिश्वत की मांग की और हमने रिश्वत नहीं दी तो हमारा काम भी अटका रखा। जिस पर आरोपी कुछ नहीं बोलकर चुप हो गया। जिससे प्रतीत होता है कि आरोपी ने ही उक्त रिश्वती राशि ईशारा करके परिवादी से रजिस्टर में रखवायी गयी थी। जिस पर पास ही खडे स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार शर्मा से परिवादी के बताये अनुसार उक्त सरकारी रजिस्टर जो कि लाल रंग का हो जिस पर 'Register No. 6/ R-152' अंकित है, उक्त रजिस्टर को उपस्थितिन् के समक्ष खुलवाया गया तो उक्त रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 21 पर 500–500 रूपये के भारतीय चलन मुद्रा कुछ नोट मिले, जिन्हें दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो कुल 10 नोट हो राशि 5000 रूपये होना पाया गया। उक्त बरामद राशि का मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटों के नंबरों से कराया गया तो रिश्वती राशि में अंकित नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू हुआ। उक्त बरामद रिश्वती राशि को स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवायी गयी। रिश्वती राशि बरामदगी स्थान का धोवन मौके पर लिया जाना आवश्यक होने से श्री मांगीलाल कानि से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। उक्त ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का साफ गिलास निकवाकर कार्यालय में ही प्रयुक्त पीने का पानी भरवाकर मंगवाया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने भी स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स में से एक साफ रूई का फोहा लिया जाकर उक्त रिश्वत राशि बरामदगी स्थान उक्त रजिस्टर के पृष्ठ सं 21 पर घुमाया जाकर उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के रंगहीन घोल में डूबोकर निचोडा गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन् ने भी स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरकर सिलचिट कर मार्क आर–1 एवं आर–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रूई के फोहे को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार शर्मा के पास रखवायी गयी पेश करने हेतु कहने पर स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार शर्मा ने अपने पास रखी गयी रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 10 नोट कुल 5000 रूपये पेश की। उक्त राशि को उपस्थितिन् के समक्ष ही एक

सफेद कागज की चिट तैयार कर सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। रजिस्टर के पृष्ठ सं. 21 जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई, के स्थान को लाल स्याही से गोला कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर उपस्थित श्रीमती रीगल शाह कनिष्ठ अभियंता से परिवादी श्री दीपक साहू की ओर ईशारा कर पूछा तो बताया कि अभी कुछ देर पहले मैं राजकार्य संपादित कर रही थी कि श्री दीपक साहू की ओर ईशारा करते हुए बताया कि ये अभी थोडी देर पहले आये थे और राहुल जी जेईएन से कोई पोल शिफ्ट करने के संबंध में वार्ता कर रहा था। जिसके बाद इन्होंने राहुल जी ने रजिस्टर में कुछ रखने का ईशारा किया उसके बाद इसने रजिस्टर में कुछ रखा था, क्या रखा मुझे पता नहीं। जिस पर परिवादीगण के पेण्डिग कार्य से संबंधित दस्तावेज चाहने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा सहायक अभियंता, एवीवीएनएल मधुबन उदयपुर से जरिये दूरभाष वार्ता कर परिवादीगण से संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु कहा गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही के हालात से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी के निवास की खानातलाशी ली जाने हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। उक्त रजिस्टर जिससे रिश्वती राशि बरामद हुई, का अवलोकन किया गया तो रजिस्टर लाल रंग का हो बाईडिंगशुदा है। रजिस्टर पर 'Register No. 6/ R-152' अंकित है, उक्त रजिस्टर के बारे में आरोपी से पूछा तो बताया कि इस्टीमेंट रजिस्टर वर्ष 2023–24 का है। उक्त रजिस्टर के पृष्ठ सं 21 से रिश्वती राशि बरामद होने से वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया।

पूर्व में सहायक अभियंता से हुई दूरभाष वार्ता के क्रम में कार्यालय सहायक अभियंता, अ.वि.वि.नि.लि. (ओ एण्ड एम) मधुबन उदयपुर से प्रेषितशुदा श्री प्रेमपुरी गोस्वामी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27–3–23 मय संलग्न एस्टीमेट एवं मिसलेनियस जॉब बुक संख्या 3 श्रीमती रीगल शाह ने पेश किये। जिसके संबंध में श्रीमती रीगल शाह कनिष्ठ अभियंता से विद्युत पोल शिफ्टींग की प्रक्रिया के संबंध में पूछने पर बताया कि प्रार्थी के द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। जिस पर सहायक अभियंता के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर एस्टीमेट एवं मौके की जांच हेतु कनिष्ठ अभियंता को भेजता है। कनिष्ठ अभियंता के द्वारा मौका पर्चा तैयार कर एस्टीमेट बनाकर हार्डकॉपी सहायक अभियंता कार्यालय में भिजवायी जाती है। सहायक अभियंता कार्यालय से जरिये डाक प्रार्थी को सूचित किया जाता है। जिस पर प्रार्थी के द्वारा एस्टीमेट के अनुसार राशि कार्यालय सहायक अभियंता में जमा करायी जाती है। जिसके उपरांत जॉब ऑर्डर निकाला जाकर संबंधित कनिष्ठ अभियंता को अग्रिम कार्य हेतु प्रेषित किया जाता है। जिसके अनुसार शिफ्टींग की कार्यवाही की जाती है।

श्रीमती रीगल शाह ने प्रार्थी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27–3–23 मय संलग्न एस्टीमेट एवं मिसलेनियस जॉब बुक संख्या 3 को देखकर बताती हूँ कि प्रार्थी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी के द्वारा विद्युत पोल हटाने संबंधी पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 27–3–23 को कार्यालय सहायक अभियंता, एवीवीएनएल (ओ एण्ड एम) मधुबन उदयपुर को प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र सहायक अभियंता श्री घनश्याम दास वैष्णव के द्वारा कनिष्ठ अभियंता फतहपुरा को एस्टीमेट एव मौका पर्चा हेतु फारवर्ड की। किन्तु देखने रिकॉर्ड से उक्त प्रार्थना पत्र कार्यालय सहायक अभियंता, एवीवीएनएल (ओ एण्ड एम) मधुबन उदयपुर में कब रिसीव हुआ एवं कनिष्ठ अभियंता को कब प्रेषित किया जिसका अंकन नहीं है। तत्पश्चात जेईएन श्री राहुल कुमार द्विवेदी के द्वारा लाईन एवं पोल शिफ्टींग हेतु एस्टीमेंट दिनांक 1–4–23 राशि 14945 रूपये का एवं उक्त एस्टीमेट पर ही तैयार मौका पर्चा के कार्यालय सहायक अभियंता, मधुबन उदयपुर में प्रेषित किया गया। उक्त एस्टीमेंट जेईएन के द्वारा कब प्रेषित किया तथा कार्यालय सहायक अभियंता, मधबुन उदयपुर में कब प्राप्त हुआ जिसका अंकन नहीं है। हमारे कार्यालय में आवक–जावक रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाता है। प्रार्थी की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और कब प्रेषित की, जिसकी हमें जानकारी नहीं है। प्रार्थी के द्वारा 15045 रूपये दिनांक 3–5–23 को जमा कराये गये जो कि केशियर श्री रफीक मोहम्मद के द्वारा रसीद संख्या 2706402 दिनांक 3–5–23 को राशि 15045 जमा कर अपने हस्ताक्षर उक्त प्रार्थना पर किये। राशि जमा होने के उपरांत कार्यालय सहायक अभियंता, मधुबन उदयपुर की मिसलेनियस जॉब बुक संख्या 3 दिनांक 7–10–2022 से शुरू हो उक्त बुक के

क्रम संख्या 73 पर दिनांक 3–5–23 को जेईएन (ओ एण्ड एम) अ.वि.वि.नि.लि. फतहपुरा को कन्जूमर नाम प्रेमपुरी गोस्वामी निमचखेडा देवाली के एस्टीमेट अनुसार कार्य करके रिपोर्ट करने हेतु आदेशित कर सहायक अभियंता श्री घनश्याम के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त प्रार्थी श्री प्रेमपुरी गोस्वामी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27–3–23 मय संलग्न एस्टीमेट एवं मिसलेनियस जॉब बुक संख्या 3 पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय करीब 12.25 पी.एम. पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू, उदयपुर से निर्देशानुसार उच्चाधिकारियों के इमदाद हेतु श्री लालसिंह हैड कानि उपस्थित हुए। समय करीब 12.30 पी.एम. पर परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल निरीक्षण किया गया। जिसकी पृथक से फर्द मूर्तिब की गयी। तत्पश्चात समय करीब 1.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान., परिवादी, सहपरिवादी एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी मय ब्यूरो जाप्ता, सिलचिटशुदा मालखाना आर्टिकल इत्यादि के कार्यालय कनिष्ठ अभियंता, अ.वि.वि.नि.नि. फतहपुरा, उदयपुर से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर के लिए रवाना हो समय करीब 1.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवानाशुदा इस समय ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित आये। जहां पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 5–5–2023 को आमने–सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, परिवादी, सहपरिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री सुरेश कानि 424 से तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। मूल एवं डब सीडी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 5.00 पी.एम. पर श्रीमती रीगल शाह कनिष्ठ अभियंता जो कि पूर्व में दिये गये निर्देश की पालना में कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर में उपस्थित आयी। जिनकी उपस्थिति में ही दिनांक 8–5–2023 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने–सामने हुई लेनदेन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, परिवादी, सहपरिवादी, श्रीमती रीगल शाह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करवायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री लालसिंह हैड कानि से तैयार करवायी गयी। तत्पश्चात मूल, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। मूल एवं डब सीडी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। बाद कार्यवाही श्रीमती रीगल शाह को उसके घर के लिए रूखसत किया गया। समय करीब 6.30 पी.एम. पर आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई रिश्वत मांग/ लेनदेन वार्ता हेतु प्रयोग में लिये गये मेमोरी कार्ड को एक कागज के लिफाफे में रखकर सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब की गयी। तत्पश्चात् समय करीब 7.00 पी.एम. पर आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी को आवाज नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक क्रमशः 1543 एवं 1544 दिनांक 8–5–2023 से जवाब चाहा गया तो आरोपी ने उन्हीं पत्र पर अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने से लिखित में मना किया। तेहरीर शामिल पत्रावली की गयी तथा समय करीब 7.15 पी.एम. पर आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 8.00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही से सिलचिटशुदा मालखाना आर्टिकल ब्यूरो इकाई उदयपुर के मालखाने में रखवाये जाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि को संभलाये जाकर जमा मालखाना कराया गया। तत्पश्चात् समय करीब 8.30 पी.एम. पर परिवादी, सहपरिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। दिनांक 09.05.2023 को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,

उदयपुर मे जरिये जे.सी. रिमाण्ड पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जमानत पर आजाद किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी कनिष्ठ अभियन्ता एवीवीएनएल, फतहपुरा उदयपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री दीपक साहू से उसके मित्र श्री प्रेमपुरी गोस्वामी निवासी नीमचखेडा उदयपुर के घर के बाहर गली में कॉर्नर पर लगे विद्युत पोल को शिफ्ट करने के लिए परिवादीगण के द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के नाम पर डिमाण्ड राशि (निगम शुल्क) के अलावा 5000 रूपये रिश्वत राशि की दिनांक 2–5–2023 को मांग करते हुए दिनांक 8–5–2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी ने परिवादी से अपनी मांग अनुसार 5000 रूपये रिश्वती राशि अपने कार्यालय कक्ष में अपनी टेबल पर रखे लाल रंग के रजिस्टर में रखवायी। जहां से रिश्वती राशि 5000 रूपये बरामद की गयी।

इस प्रकार आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी श्री राममनोहर द्विवेदी उम्र–32 वर्ष निवासी क्वार्टर नम्बर सी–12, अम्बावगढ़ (स्वरूप सागर के पास) पुलिस थाना अम्बामाता उदयपुर मूल निवासी बोदाबाग जिला रीवा मध्यप्रदेश हाल कनिष्ठ अभियन्ता (ओ एण्ड एम) एवीवीएनएल, फतहपुरा जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी श्री राममनोहर द्विवेदी उम्र–32 वर्ष निवासी क्वार्टर नम्बर सी–12, अम्बावगढ़ (स्वरूप सागर के पास) पुलिस थाना अम्बामाता उदयपुर मूल निवासी बोदाबाग जिला रीवा मध्यप्रदेश हाल कनिष्ठ अभियन्ता, एवीवीएनएल, फतहपुरा जिला उदयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर सादर प्रेषित है।

(डां. सीनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि. ब्यूरों, उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राहुल कुमार द्विवेदी, हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, फतहपुरा, उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 113/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 852-55 दिनांक 09.05.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. सचिव प्रशासन, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

9.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।